



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

CENTRAL HINDI DIRECTORATE

शिक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF EDUCATION

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM

नई दिल्ली/NEW DELHI-110066

दिनांक/DATED: 26-06-2024

तार : राजभाषा
Tele : Rajbhasha
फोन/Phone : 26178454, 26105211
26105213, 26105214, 26105243
26105312
फेक्स/Fax : 26100758, 26102575
www.chd.mhrd.gov.in
www.chdpublication.mhrd.gov.in

सेवा में,

.....
.....

विषय: निदेशालय में स्थित फोटोकॉपी मशीन ठीक करवाने के संबंध में।

महोदय,

केंद्रीय हिंदी निदेशालय में 09 फोटोकॉपी मशीनों (कैनन इंडिया प्रा.लि.) की मरम्मत करवानी है। इस संबंध में मशीनों को ठीक करवाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं।

इस कार्य को करने के लिए यदि आप सहमत हैं, तो दिनांक 27.06.24 से 03.07.24 (10.00 से 6.00 सायं) तक कार्य का निरीक्षण करके सभी फर्म अपने लैटर हैड पर अनुमानित व्यय कर सहित कार्यालय में दिनांक 04.07.24 को 11.00 बजे तक प्रस्तुत करें/भिजवा दें। निविदा भिजवाये जाने के नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. निविदाएं सील बंद लिफाफे में होनी चाहिए।
2. निविदा के अंतर्गत निदेशालय में स्थित फोटोकॉपी मशीनों की मरम्मत हेतु खर्च की जानकारी अलग-अलग (स्पेयर पार्ट सहित) होनी चाहिए।
3. लिफाफे पर "निदेशालय में फोटोकॉपी मशीनों को ठीक करवाने के संबंध में" लिखा होना चाहिए।
4. संबंधित फर्म के लिए कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात दो सप्ताह के अंतर्गत कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है।
5. चूँकि सभी फोटोकॉपी मशीनें कैनन कंपनी की हैं, इसलिये संबंधित फर्म कैनन से अधिकृत होनी चाहिये एवं संबंधित फर्म जीएसटी रजिस्टर्ड होनी चाहिये।
6. संबंधित फर्म को कैनन इंडिया प्रा.लि. का मैनुयुफैक्चरिंग ऑथराइजेशन फॉर्म निविदा कोटेशन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय को यह अधिकार होगा कि वे संबंधित फर्म का ठेका बिना पूर्व सूचना के रद्द कर सकते हैं।

कोटेशन के रूप में प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 के पते पर अधोहस्ताक्षरी के नाम भिजवाने की व्यवस्था करें। निविदाएं प्रथम तल मीटिंग रूम में अपराह्न 12.00 बजे खोली जाएंगी जो भी फर्म प्रस्तुत होना चाहती है अपने साथ फर्म की कोई भी आई डी का होना अनिवार्य है, अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते हैं।

धन्यवाद,

भवदीया,

Sangita Jais
26/06/2024
(संगीता जैस)

प्रशासनिक अधिकारी